



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.:1775 का नवीकरण सहित संशोधन
Renewal cum Amendment of Type Approval Number: 1775

विषय /Sub: इंटिग्रली लिट कॉकपिट पैनल (आईएलसीपी), पार्ट सं. 1710 003 762 69 /
Integrally Lit Cockpit Panel (ILCP) , Part No.: 1710 003 762 69

यह घोषित किया जाता है कि मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, (भारत सरकार उद्यम), रक्षा मंत्रालय, प्लॉट सं.405, फेज़- III , इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला-134 113, हरियाणा द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “ इंटिग्रली लिट कॉकपिट पैनल” पार्ट सं. 171000376269 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1775, दिनांक 23 अगस्त 2013 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1775 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1775/1ए, दिनांक 31 दिसंबर 2015 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था।

This is to state that the “Integrally Lit Cockpit Panel” bearing the Part No. 171000376269, designed, developed and manufactured by M/s. Bharat Electronics Limited, (A government of India Enterprise), Ministry of Defence, Plot No.405, Phase - III, Industrial Area, Panchkula - 134 113, Haryana was issued with Type Approval Number: 1775 vide reference number: CEMILAC/5070/TA-1775, dated: 23rd August 2013 with its validity up to 30th June 2018. Subsequently an Addendum was issued vide reference number: CEMILAC/5070/TA-1775/1A, dated: 31st December 2015.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (चंडीगढ़), चंडीगढ़ - 160 003 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st October 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Chandigarh), Chandigarh - 160 003, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1775, दिनांक 23 अगस्त 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-1775, dated: 23rd August 2013 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.


4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।


All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1775/1R

दिनांक / Date : 10 October 2018

फैक्स सं / Fax No: 080-25230856




पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)